सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–15/05/2026

संख्या–06/योजना–14–14/2025/3747 जीवाश्म ईंधन के जारी क्षरण, कीमत में वृद्धि, परिवेशीय वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक कुल नए वाहनों में कम–से–कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करते हुए वैश्विक अभियान EV 30@30 को सहयोग प्रदान करने का लक्ष्य, नागरिकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्साहपूर्ण स्वीकार्यता, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा रोजगार सृजन के समग्र दृष्टिकोण से "मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना" लागू की जाती है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ ।–**
   (1) योजना का नाम–"मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना"

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह योजना वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए प्रवृत्त होगी।

2. उक्त योजना के तहत प्रस्तावित "बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026" के अंतर्गत बिहार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure Electric Vehicle) के क्रय हेतु विर्निदिष्ट दिशा–निर्देश के अनुरूप इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय एवं निबंधन हेतु निम्नरूपेण प्रोत्साहन की राशि देय होगी–

(I) इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के लिए–

इलेक्ट्रिक वाहन का प्रकार	सामान्य वर्ग के लिए	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए
इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन	रू0 50,000/– प्रति वाहन	रू0 60,000/– प्रति वाहन

(II) इलेक्ट्रिक गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए–

इलेक्ट्रिक वाहन का प्रकार	सामान्य वर्ग के लिए	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए

इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन	महिलाओं के लिए रू0 12,000/– प्रति वाहन	
	रू0 10,000/– प्रति वाहन	रू0 12,000/– प्रति वाहन
इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (केवल महिलाओं के लिए)	रू0 1,00,000/– प्रति वाहन	

3. लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी०बी०टी०) के माध्यम से किया जायेगा।
4. यह योजना वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए लागू होगी।
5. उक्त योजना के स्वीकृति के फलस्वरूप मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, स्वच्छ ईंधन योजना की कार्यावधि पूर्ण मानी जायेगी तथा प्रस्तावित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहन के क्रय एवं निबंधन हेतु प्रोत्साहन की राशि कंडिका–2 के अनुरूप संशोधित समझा जायेगा।
6. योजना के अन्तर्गत संभावित राशि की व्यय का वहन मांग संख्या–47 के मुख्यशीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्यशीर्ष–00– लघुशीर्ष–199–अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता–उपशीर्ष–0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपत्र कोड–47–3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष–33–सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष–01– सब्सिडी से किया जायेगा।
7. योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार अलग से दिशा निर्देश जारी किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राज कुमार) 15/05/26

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–06/योजना–14–14/2025/3747 पटना, दिनांक 15/05/2026

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, [illegible] सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सचिव, 15/05/26

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–06 / योजना–14–14 / 2025 / 3747 – पटना, दिनांक– 15/05/2026

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव सभी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव, 15/05/26

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–06 / योजना–14–14 / 2025 / 3747 पटना, दिनांक– 15/05/2026

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव / सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव / राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) / सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी / सभी मोटरयान निरीक्षक / सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव, 15/05/26

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–06 / योजना–14–14 / 2025 / 3747 पटना, दिनांक– 15/05/2026

प्रतिलिपिः– आई.टी.मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव, 15/05/26

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।